न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई,** आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 76/2019
GCMS NO. : 2019/00044

–:: वादीगण ::–

1. घेवरराम पुत्र भीखाराम
2. पदमाराम पुत्र हरदेवराम
3. चैनाराम पुत्र पूनाराम
4. नारायणराम पुत्र पूनाराम
5. लखाराम पुत्र देवाराम
   जातियान– देवासी(राईका), निवासीगण– देवासियों का बास खराड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राजस्थान।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. भंवरूराम पुत्र भीखाराम
2. बालाराम पुत्र भीखाराम
   जातियान– देवासी(राईका), निवासीगण– देवासियों का बास खराड़ी,
3. तहसीलदार(लैण्ड होल्डर) जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् **तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** **तारीख रजू:.03.04.2019**

उपस्थित:–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक:–04/08/2021

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं अन्य सहहिस्सेदारो के पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा ग्राम खराड़ी पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण में आई हुई है, जिसके खसरा नम्बर 1026 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1032 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा किस्म गै.सु. बैरा, खसरा नम्बर 1033 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1034 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1035 रकबा 04 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1036 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 06 कुल रकबा 51 बीघा 04 बिस्वा की भूमि आई हुई है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी इस वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि को वादपत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वादपत्र के [illegible] विवादित भूमि में वादीगण के पिता व दादा भीकाराम पुत्र गेपरजी सबदर[illegible] (राईका) का 1/8 वा हक हिस्सा व अधिकार वादी का था [illegible] पर कब्जा व हक अधिकार भी था तथा राजस्व रेकर्ड भी उक्त भूमि [illegible] गेपरजी के नाम से दर्ज थी। जिसके दस्तावेजी सबूत के रूप चौसाला जमा[illegible] के सवत 2017 से 2020, 2021 से 2024, 2025 से 2028, 2029 से 2032, 2033 से 2037, 2037 से 2040 इस वादपत्र के साथ पेश है तत्पश्चात हल्का पटवारी ने उक्त भीकाराम जी की वल्दीयत गेपरजी की बजाय घेवरजी दर्ज कर दी जिसका अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:10:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

चौसाला जमाबन्दी सवत 2037 से 2040 में किया हुआ है और इसी माफिक चौसाला जमाबन्दी संवत 2042 से 2045, जमाबन्दी सवत 2046 से 2049 जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 में इसी माफिक प्रविष्टि चली आ रही है। उपरोक्त चौसाला जमाबन्दीया इस वादपत्र के साथ पेश की जा रही। इसी विवादित भूमि के अन्य सहहिस्सेदार भीकाराम पुत्र लिछमण जी भीम देवासी (राईका) भी थे तथा उक्त भीकाराम पुत्र लिछमण जी का भी इस विवादित भूमि में 1/8 वा हक हिस्सा व अधिकार था एवं इसी माफिक राजस्व रेकर्ड चौसाला जमाबन्दी संवत 2017 से लगायत 2040 तक में इनका नाम चला। तत्पश्चात उक्त भीकाराम पुत्र लिछमण का देहान्त हो जाने पर तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा भीकाराम पुत्र लिछमण जी का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 600 भरा था। जो भीकाराम पुत्र लिछमण जी जायन्दा पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एवं पत्नि जीमनाई के नाम का भरा गया था। उस दौरान वादीगण के पिता व दादा का नाम राजस्व रेकर्ड में यथावत रहा था। जिसके दस्तावेजी सबूत के रूप में नामान्तरणकरण संख्या 600 व चौसाला जमाबन्दी सवत 2042 से लगायत 2057 तक की इस वादपत्र के साथ पेश है। तत्पश्चात राज्य सरकार के आदेशानुसार चौसाला जमाबन्दीया कम्प्यूटर के जरिये तैयार की जाने लगी। उस दौरान तत्कालीन हल्का पटवारी ने बिना किसी प्रकार की सूचना एवं आवेदन के ही वादीगण के पिता व दादा भीकाराम पुत्र गेपरराम उर्फ घेवरराम को 15 वर्ष पूर्व फौत होना बताकर के नामान्तरणकरण संख्या 1067 के जरिये उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा उनकी माता के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि वादीगण के पिता व दादा का देहान्त दिनांक 06.07.2008 को हुआ था। जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल भी इस वादपत्र के साथ पेश है। इस प्रकार से वादीगण के पिता व दादा श्री भीकाराम पुत्र गेपरराम उर्फ घेवरराम जी के जीवनकाल में ही उन्हे फौत होना बताकर विवादित भूमि प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज कर दी। जबकि प्रतिवादीगण भीकाराम लिछमण के वारिसान है तथा भीकाराम पुत्र गेपरजी के वादीगण वारिसान है। इस प्रकार से तत्कालीन हल्का पटवारी गंगासिंह ने कूटरचित व फर्जी नामान्तरणकरण संख्या 1067 ग्राम खराड़ी पटवार हल्का डिगरना के जरिये घेवररामविवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज कर दी जो कतई गलत है एवं उक्त नामान्तरणकरण संख्या 1067 के जरिये वादीगण की पैतृक पुश्तैनी विवादित भूमि को प्रतिवादीगण व उनके माता के नाम दर्ज कर दी गई, जो कतई गलत है। भीकाराम पुत्र लिछमण जी का फोतेदगी म्यूटेशन संख्या 600 पूर्व में ही भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जा चुका था। उसके बाद दुबारा पटवारी गंगासिंह ने इसी विवादित भूमि के बाबत भीकाराम [illegible] के जीवनकाल में ही नामान्तरणकरण संख्या 1067 के जरिये प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एवं उनकी माता का नाम दर्ज कर दिया। जो कतई गलत [illegible] एवं इसी गलत नामान्तरणकरण के जरिये चौसाला जमाबन्दी सवत 2058 से 2081 में भी अंकन दर्ज कर दिया। जो वर्तमान चौसाला जमावन्दी तक इसी के अनुरूप दर्ज है। उक्त नामान्तरणकरण संख्या 1067 वादीगण के हक अधिकारो की सिमा तक शून्य व निष्प्रभावी (वोईड एबइनिसियो) दस्तावेज मात्र है। जिसके अस्तित्व में रहने से वादीगण के हक अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इसे रद्द घोषित करवाने एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:10:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

विवादित भूमि में वादीगण के हक हिस्से की भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवाने के लिए यह वादपत्र बाबत घोषणा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। विवादित भूमि में वादीगण का 1/8 वा हक हिस्सा है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण का भी 1/8 वा हक हिस्सा है। शेष 6/8 वे हिस्से के दिगर खातेदार काश्तकार है। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती से भीकाराम पुत्र लिछ्मण राम जी राईका के फौत होने को आधार बनाकर भीकाराम पुत्र गेपरजी की भूमि भी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। वादीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है। जो भीकाराम पुत्र गेपरजी के फौत होने पर हल्का पटवारी से नामान्तरणकरण की कार्यवाही हेतु निवेदन करने पर उन्होने खसरा नम्बर 358, 361, 370 व 371 मौजा खराड़ी पटवार हल्का डिगरना की भूमियों के बाबत नामान्तरणकरण की कार्यवाही कर दी। उसी माफिक इन खसरान् नम्बरान की भूमियों में वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। लेकिन विवादित खसरान् नम्बरान् की भूमि के बाबत् नामान्तरणकरण की कोई कार्यवाही नहीं की। फरवरी 2019 में वादीगण को अपनी इस भूमि पर बैंक से साख पत्र बनवाने की आवश्यकता हुई जिस पर वादी ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड बाबत् मालूमात कर उक्त चौसाला जमाबन्दी प्राप्त की जो वादीगण को कुटरचित नामान्तरण संख्या 1067 के बाबत् जानकारी हुई। वादीगण अपने पिता व दादा के फौत हो जाने के बाद जरिये फौतदेगी म्युटेशन के उनके नाम की खातेदारी भूमि उनके नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। लेकिन कुटरचित नामान्तरणकरण व राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज होनें की वजह से वादीगण के नाम उक्त विवादित खसरा नम्बरान् की भूमि वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी भूमि होनें की घोषणा करवानें के अधिकारी होनें से यह वादपत्र बाबत घोषणा का बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर प्रस्तुत है। विवादित खसरा नम्बरान् की भूमि के वादीगण 1/8वें हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है व इसी माफिक मौके पर वादीगण का कब्जा व हक अधिकारी भी है। लेकिन उक्त भूमि कूटरचित नामान्तरणकरण संख्या 1067 के जरिये प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाने से एवं अब प्रतिवादीगण को भी इस बाबत् मालूमात हो जाने से उक्त प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त मे दखलदांजी करनें को आमादा है तथा दिनांक 15.03.2019 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानिया कथन भी किया की तुम्हारें हिस्से की भूमि भी राजस्व रेकर्ड में हमारे नाम से दर्ज है। इसलिये अब हम इस भूमि पर से तुम्हारा कब्जा हटाकर इस भूमि को अन्य अजनबी क्रेता को बैचान हस्तान्तरण कर देगें। जिस पर वादीगण ने इस भूमि के राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती करवाने हेतु दिनांक 15.03.2019 को [illegible] लेकिन प्रतिवादीगण इन्कार हो गये है तथा इस विवादित खसरा नम्बरान [illegible] भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज होने से यदि प्रतिवादीगण इस भूमि को जरिये बैचान रहन के अन्य हस्तान्तरण कर देते है तो वादीगण हमेशा हमेशा के लिए अपनी इस पैतृक पुश्तैनी जायदाद से वंचित हो ज[illegible]। जिसे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूति किसी भी कदर सम्भव नही है। साथ ही वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्य का विरोध करेगें। जिससे विवाद बढ़ेगा एवं मल्टीप्लीसिटी अ०फ प्रोसर्डिंग्स होगी तब ऐसी विषम परिस्थियो में वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:10:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पास यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से वादपत्र सादर प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की माता जिमनाई बेवा भीका का देहान्त हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ही उसके विधिक वारिसान है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार जैतारण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन वादीगण का यह वादपत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का है, नोटिस देकर दो माह की अवधि पूरी होने का इन्तजार करने तक प्रतिवादी इस भूमि अन्य हस्तान्तरण कर देगें। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र अनुमति लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमति बाबत धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। बिनाय वाद माह फरवरी 2019 में वादीगण द्वारा अपना बैंक शाख पत्र बनवाने की मंशा से राजस्व रेकर्ड बाबत हल्का पटवारी से जानकारी लेने पर वादीगण भूमि से वादीगण को बेदखल करनें की ऐलानिया धमकी देनें पर व वादीगण द्वारा रेकर्ड दुरुस्ती करवानें का कहने के बावजूद भी उनके द्वारा इन्कार करनें पर बमुकाम खराड़ी पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण में पैदा हुआ है जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो सामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने जवाब दावा पेश करते हुये वादपत्र में वर्णित सभी कथनों को आंशिक रूप स्वीकार किया है। वादपत्र के पद संख्या 10 आंशिक रूप से स्वीकार है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 51-04 बीघा भूमि में 1/8 हिस्से के खातेदार है, उक्त सम्पूर्ण खसरान् में प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पिता का 1/8 हिस्सा है। इसके अलावाप किसी भी प्रकार की रेकर्ड शुद्धि की जाती है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है व प्रतिवादीगण संख्या एक व दो को 1/8 हिस्से का सुरक्षित खातेदार रखा जावें। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः- वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम खराड़ी तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1026 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1032 रकबा 01 बीघा 07 बि[illegible] जे.बु. बैरा, खसरा नम्बर 1033 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी [illegible] खसरा नम्बर 1034 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी [illegible] 1035 रकबा 04 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1036 रकबा 2[illegible] बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में वादीगण के पिता एवं दादा भीकाराम [illegible] गेपरजी जाति सबदरा देवासी (राईका) का 1/8 वां हक हिस्सा व अधिकार था तथा इसी मुताबिक कब्जा काश्त था। जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2017 से 2040 तक उक्त प्रविष्टियां निरंतर दर्ज रही तत्पश्चात् हल्का पटवारी द्वारा खातेदार भींकाराम वल्दीयत गेपरजी के बजाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:10:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

घेवरजी दर्ज कर दी गई इसका अंकन सम्वत् 2037 से 2040 में है जो कि त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तथा आगामी जमाबन्दीयों में इसी अनुरूप त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां दर्ज रही। वादग्रस्त आराजी के अन्य सहखातेदार भीकाराम पुत्र लिछमण का भी 1/8 वां हक हिस्सा था जिनका देहान्त होनें पर नामान्तरण संख्या 600 स्वीकृत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एवं पत्नी जिमनाई को बतौर वारिसान को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। तत्पश्चात् चौसाला जमाबन्दीयां कम्प्युटरीकृत होनें के दौरान् तत्कालीन पटवारी द्वारा बिना किसी सूचना एवं आधार के वादीगण के पिता एवं दादा भीकाराम पुत्र गेपरराम उर्फ घेवरराम को 15 वर्ष पूर्व फौत होना बता कर नामान्तरण संख्या 1067 स्वीकृत कर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 व उनकी माता का नाम बतौर वारिसान दर्ज कर दिया गया। जो विधि विरूद्ध हैं, क्योंकि वादी के पिता व दादा भीकाराम पुत्र गेपरराम की मृत्यु दिनांक 06.07.2008 को हुई थी तथा प्रतिवादीगण भीकाराम पुत्र गेपरराम के वारिसान नहीं है। अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजी में मृतक खातेदार भीकाराम पुत्र गेपरराम उर्फ घेंवरराम के स्थान पर बतौर वारिसान 1/8 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। नामान्तरण संख्या 1067 को रद्द घोषित किया जावें तथा वादीगण के पक्ष में एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावें तथा इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी किया जावें। PW-1 वादी साक्ष्य शपथ पत्र वादी घेंवरराम पुत्र भीकाराम, PW-2 साक्ष्य शपथ पत्र नारायण लाल पुत्र पुनाराम, PW-3 वादी के समर्थन में साक्ष्य शपथपत्र श्री किशन पुत्र मंगलाराम जाति देवासी निवासी खराड़ी, PW-4 वादी के समर्थन में साक्ष्य शपथपत्र श्री हापूराम पुत्र मंगलाराम जाति देवासी निवासी खराड़ी, में शपथपत्र पर किये गये बयानात् से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता एवं दादा भीकाराम पुत्र गेपरजी देवासी का 1/8वां हक हिस्सा व कब्जा काश्त था। नामान्तरण संख्या 1067 गलत भरा गया है तथा वादीगण मृतक खातेदार भींकाराम पुत्र गेपरराम के विधिक वारिसान है। प्रतिवादीगण भीकाराम पुत्र गेपरराम के वारिसान न होकर भीकाराम पुत्र लिछमण के वारिसान है। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 ग्राम खराड़ी में प्रतिवादी भंवरू, बाला पिसरान भीका, जिमनाई बेवा भीका दो बार बतौर खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 ग्राम खराड़ी, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 ग्राम खराड़ी, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 ग्राम खराड़ी, में भी उक्त प्रविष्टियां अंकित है। प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 के अनुसार भीका पुत्र घेवर एवं बालू राम, भंवरू पिसरान् भीका, जिमनाई बेवा भीका बतौर खातेदार दर्ज है इसी जमाबन्दी की प्रविष्टि के अनुसार नामान्तरण संख्या 1067 दिनांक 28.12.2001 द्वारा भीका पुत्र [illegible] पिसरान भीका व जिमनाई बेवा भीका दर्ज किया गया। इस प्रकार यह स[illegible] है [illegible] जब बालूराम, भंवरू पिसरान भीका, जिमनाई बेवा भीका पहले से बतौर [illegible] दर्ज थे तो इन्हें नामान्तरण संख्या 1067 द्वारा भीका पु[illegible] रूप में दर्ज कर देना पूर्णतया विधि विरूद्ध था। प्रदर्श–6 नामान्तरण पंजिका ग्रा[illegible] खराड़ी के अनुसार भीका के फौत होनें से बालू, भंवरू पि0 भीका व जिमनाई बेवा भीका दर्ज किया गया। इसी प्रकार प्रदर्श–7 नामान्तरण पंजिका ग्राम खराड़ी के अनुसार भीका 15 वर्ष फौत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:10:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हो जाने से वारिसान भंवरू, बाला पुत्र भीका, बेवा जिमनाई के नाम नामान्तरण संख्या 1067 दिनांक 10.12.2001 को स्वीकृत किया गया। प्रदर्श–18ए भीकाराम पुत्र गेपरराम का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 17.06,2015 के अनुसार भीकाराम की मृत्यु तिथी 06.07.2008 हैं। प्रदर्श–19ए मृत्यु प्रमाण पत्र देवाराम पुत्र भीकाराम, प्रदर्श–20ए मृत्यु प्रमाण पत्र पुनाराम पुत्र भीकाराम, के अनुसार भीकाराम के पुत्र देवाराम एवं पुनाराम की मृत्यु क्रमशः दिनांक 03.06.2006 व 03.05.2009 को हो चुकी है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजात् से यह पूर्णतया साबित होता है कि वादीगण मृतक खातेदार भीकाराम पुत्र गेपरजी के विधिक वारिसान है तथा भीकाराम की वल्दीयत भू अभिलेख के अनुसार गेपरजी है न कि घेवरजी है। वादग्रस्त आराजी में खातेदार भीका के नाम से स्वीकृत फौतदेगी नामान्तरण संख्या 1067 विधि विरूद्ध है क्योंकि भू अभिलेख के अनुसार भीका नाम से दो सहखातेदार थे क्रमशः भीका वल्द गेपर उर्फ घेवर तथा भीका वल्द लिछमण। भीका वल्द लिछमण के फौत होनें से पहलें से ही नामान्तरण संख्या 600 स्वीकृत किया जा चुका था तथा प्रतिवादीगण बतौर वारिसान दर्ज किये जा चुके थे, पश्चात् नामान्तरण संख्या 1067 दिनांक 10.12.2001 को स्वीकृत किया गया। जिसमें भी खातेदार भीका को 15 वर्ष पूर्व फौत बताया जाकर प्रतिवादीगण को बतौर वारिसान दर्ज कर दिया गया, जबकि भीकाराम पुत्र गेपरराम के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–18ए के अनुसार खातेदार भीकाराम पुत्र गेपरराम की मृत्यु 06.07.2008 को हुई थी। अतः नामान्तरण संख्या 1067 दिनांक 10.12.2001 आरम्भतः शून्य एवं विधि विरूद्ध है।

प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत करते हुये वादपत्र में अंकित कथनों का समर्थन करते हुये यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 वादग्रस्त आराजी में 1/8 हिस्से के खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का हिस्सा सुरक्षित रखते हुये वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जावें।

वादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 ग्राम खराड़ी के अनुसार जिमनाई पत्नी भीका हिस्सा 1/24, बालूराम पुत्र भीकाराम हिस्सा 1/16, बालूराम पुत्र भीका हिस्सा 1/24, भंवरू पुत्र भीका हिस्सा 1/24, भंवरूराम पुत्र भीकाराम हिस्सा 1/16 अंकित है। चुंकि यह स्पष्ट है कि भीका पुत्र लिछमण एवं भीका पुत्र गेपर दोनों का वादग्रस्त आराजी में 1/8–1/8 हिस्सा था। भीका पुत्र लिछमण के वारिसान भंवरूराम, बालूराम एवं जिमनाई है, जिनका प्रत्येक का हिस्सा 1/3–1/3 होता है। चुंकि जिमनाई फौत हो चुकी है। अतः जिमनाई का 1/3 हिस्सा अन्य वारिसान भंवरूराम एवं बालूराम को हस्तान्तरित होनें से भंवरूराम व बालूराम प्रत्येक का हिस्सा क्रमशः 1/16 – 1/16 होता है। वर्तमान भू अभिलेख के अनुसार भंवरूराम एवं बालूराम का हिस्सा 1/16 – 1/16 दर्ज है। [illegible] बैंक रहन भी अंकित है। जो कि सही है, लेकिन इसके साथ [illegible] हिस्सा 1/24 एवं भंवरूराम पुत्र भीका हिस्सा 1/24 एवं जिमनाई पत्नी भीका [illegible] 1/24 तीनों का कुल हिस्सा 1/8 की प्रविष्टिया पूर्णतया विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि मृतक खातेदार भीका पुत्र गेपर के वारिसान वादीगण है न की उपर्युक्त प्रतिवादीगण, अतः उपर्युक्त तीनों प्रविष्टियों को भू अभिलेख से विलोपित करते हुये इनके स्थान पर मृतक खातेदार भीका पुत्र गेपर को खातेदार घोषित करते हुये तहसीलदार जैतारण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:10:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मृतक खातेदार भीका पुत्र गेपर के विधिक वारिसानों की जांच करते हुये नियमानुसार फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत किये जानें हेतु निर्देशित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा ग्राम खराड़ी पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के जिसके खसरा नम्बर 1026 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1032 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा किस्म गै.मु. बैरा, खसरा नम्बर 1033 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1034 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1035 रकबा 04 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1036 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 06 कुल रकबा 51 बीघा 04 बिस्वा में विधि विरूद्ध स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1067 से खातेदार भीका पुत्र गेपर उर्फ धेंवर के स्थान पर त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध रूप से बतौर वारिसान दर्ज प्रतिवादीगण जिनकी वर्तमान भू अभिलेख में प्रविष्टियां **"बालूराम पुत्र भीका हिस्सा 1/24 एवं भंवरूराम पुत्र भीका हिस्सा 1/24 एवं जिमनाई पत्नी भीका हिस्सा 1/24"** तीनों का कुल हिस्सा 1/8 है, को भू अभिलेख से विलोपित करते हुये इनके स्थान पर मृतक खातेदार भीकाराम पुत्र गेपरराम देवासी (राईका) निवासी ग्राम खराड़ी को वादग्रस्त आराजी में 1/8 हिस्से का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि इसी मुताबिक भू अभिलेख में इन्द्राज करें तथा तत्पश्चात मृतक खातेदार भीकाराम पुत्र गेपरराम के विधिक वारिसान की सम्यक् जांच कर नियमानुसार फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत करें। वादीगण को निर्देशित किया जाता हैं कि मृतक खातेदार भीकाराम पुत्र गेपरराम के विधिक वारिसान की सूची एवं आवश्यक दस्तावेजात् तहसीलदार जैतारण को प्रस्तुत करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:10:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 04/08/2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. घेवरराम पुत्र भीखाराम 2. पदमाराम पुत्र हरदेवराम 3. चैनाराम पुत्र पूनाराम 4. नारायणराम पुत्र पूनाराम 5. लखाराम पुत्र देवाराम जातियान– देवासी(राईका), निवासीगण– देवासियों का बास खराड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राजस्थान।		1. भंवरूराम पुत्र भीखाराम 2. बालाराम पुत्र भीखाराम जातियान– देवासी(राईका), निवासीगण– देवासियों का बास खराड़ी, 3. तहसीलदार(लैण्ड होल्डर) जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0: 76/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा ग्राम खराड़ी पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के जिसके खसरा नम्बर 1026 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1032 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा किस्म गै.सु. बैरा, खसरा नम्बर 1033 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1034 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1035 रकबा 04 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1036 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 06 कुल रकबा 51 बीघा 04 बिस्वा में विधि विरूद्ध स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1067 से खातेदार भीका पुत्र गेपर उर्फ घेंवर के स्थान पर त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध रूप से बतौर वारिसान दर्ज प्रतिवादीगण जिनकी वर्तमान भू अभिलेख में प्रविष्टियां **"बालूराम पुत्र भीका हिस्सा 1/24 एवं भंवरूराम पुत्र भीका हिस्सा 1/24 एवं जिमनाई पत्नी भीका हिस्सा 1/24"** तीनों का कुल हिस्सा 1/8 है, को भू अभिलेख से विलोपित करते हुये इनके स्थान पर मृतक खातेदार भीकाराम पुत्र गेपरराम देवासी (राईका) निवासी ग्राम खराड़ी को वादग्रस्त आराजी में 1/8 हिस्से का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि इसी मुताबिक भू अभिलेख में इन्द्राज करें तथा तत्पश्चात मृतक खातेदार भीकाराम पुत्र गेपरराम के विधिक वारिसान की सम्यक जांच कर नियमानुसार फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत करें। वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार भीकाराम पुत्र गेपरराम के विधिक वारिसान के आवश्यक दस्तावेजात् तहसीलदार जैतारण को प्रस्तुत करें। इसी कदर वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:10:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .. ..-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/08/2021 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-	00	स्टाम्प वकालतनामा	01-	00
स्टाम्प वकालतनामा	01-	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02-	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	05-	00	मिजानः-	01-	00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:10:46 IST
Reason: SelfAttested